Machine Translated by Google

कृषि अवसंरचना निधि

(एआईएफ) योजना

योजना का परिव्यय छह वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये (2020-21 से 2025-26)

Machine Translated by Google

ARREDS

भारत अभियान : 31-08-2023 तक

Machine Translated by Google

ARREDS

एआईएफ क्यों?

उच्च फसल कटाई के बाद नुकसान

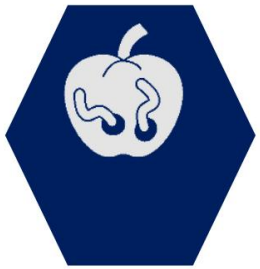

विशाल बुनियादी ढांचा अंतर

पर निर्भरता बिचौलियों

दीर्घकालिक संस्थागत वित्तपोषण का अभाव

प्रौद्योगिकी अपनाने की गति धीमी कृषि

Machine Translated by Google

एआईएफ की विशेषताएं

ब्याज अनुदान

ROI की सीमा 9% और 3% प्रति वर्ष की छूट
(नाबार्ड द्वारा पैक्स के लिए 1% अनुदान के बाद ऋण)

क्रेडिट गारंटी

सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
(एफपीओ के लिए एफपीओ प्रमोशन फंड सहायता)

अभिसरण

कई योजनाओं (मंत्रालयों, राज्य सरकारों) के साथ समन्वय स्थापित करने की अनुमति दी गई।

परियोजना पात्रता

विभिन्न स्थानों पर 25 परियोजनाएं प्रति परियोजना 2 करोड़ रुपये

7 वर्ष तक ब्याज अनुदान एवं CGTMSE शुल्क सहायता
(2 वर्ष तक की स्थगन अवधि सहित)

Machine Translated by Google

एक इकाई के कई ऋण इस योजना के तहत

पात्र प्रति इकाई परियोजनाओं की संख्या: - • एक स्थान पर 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता इस योजना के तहत पात्र है। • एक स्थान पर कई परियोजनाएँ भी 2 करोड़ रुपये की कुल सीमा के साथ पात्र हैं ।

•यदि परियोजनाएं अलग-अलग स्थानों पर हैं, तो ऐसी सभी परियोजनाएं योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगी।

• हालाँकि, निजी क्षेत्र की इकाई, जैसे किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप के लिए ऐसी परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 25 होगी।

• 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी संघों, एफपीओ, एफपीओ के संघों, एसएचजी और एसएचजी के संघों पर लागू नहीं होगी।

Machine Translated by Google

पात्र लाभार्थी

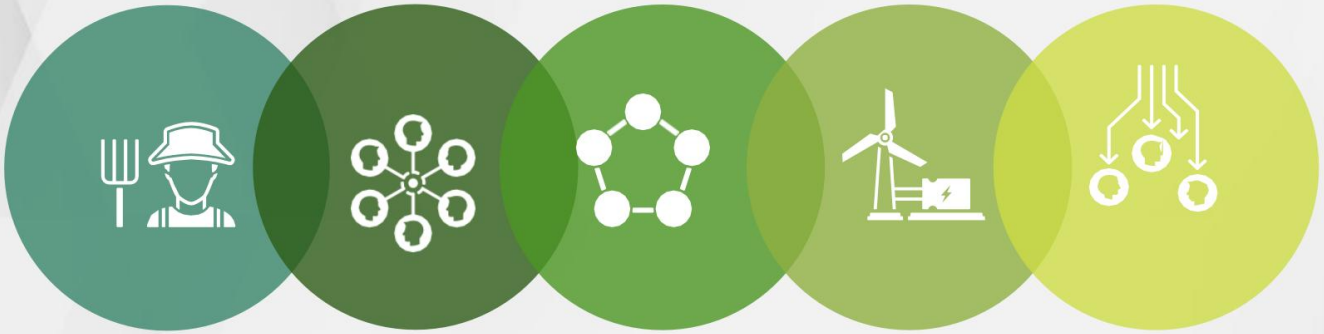

किसानों

- व्यक्तिगत किसान

किसान समूह • किसान उत्पादक

संगठन • संयुक्त देयता समूह • स्वयं सहायता समूह • प्राथमिक कृषि सहकारी समिति

सोसायटी (पीएसीएस)

बड़े व्यवसाय

• एफएमसीजी कंपनियां • निर्यातक • खाद्य प्रसंस्करणकर्ता

कृषि उद्यमी

• व्यक्तिगत व्यवसाय के मालिक - मिल मालिक, निर्यातक, आदि। • स्टार्ट-अप • आपूर्ति श्रृंखला के खिलाड़ी
• स्मार्ट खेती के उद्यमी

राज्य की एजेन्सियां

• कृषि उपज विपणन समितियां (एपीएमसी) • एफपीओ के संघ, • एसएचजी का संघ, • राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय सहकारी संघ • राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां, जैसे राज्य भंडारण निगम

Machine Translated by Google

एआईएफ के अंतर्गत पात्र गतिविधियाँ

कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं

सभी लाभार्थियों के लिए ((व्यक्तिगत/निजी संस्थाओं सहित)

- गोदाम, साइलो
- कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन
- पैकेजिंग इकाइयाँ
- परख इकाइयाँ
- पकने का कक्ष
- प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधि
- छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ • आपूर्ति श्रृंखला सेवाएँ

ई-मार्केटिंग सुविधा सहित

- पात्र पर सौर पैनल

आधारभूत संरचना

- खेत अवशेष / अपशिष्ट

प्रबंधन अवसंरचना

सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियाँ

सभी लाभार्थियों के लिए (व्यक्तिगत/निजी संस्थाओं सहित)

- संगठनात्मक इनपुट उत्पादन – वर्मीकंपोस्टिंग आदि
- इनपुट उत्पादन (बीज प्रसंस्करण, ऊतक संवर्धन, नर्सरी)
- आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना
- जैव उत्तेजक उत्पादन
- खेत/फसल स्वचालन
- स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा • खेतों में ड्रोन, सेंसर, ब्लॉकचेन और एआई की खरीद

कृषि आदि

- रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT)
- जीआईएस अनुप्रयोगों के माध्यम से कृषि सलाहकार सेवाएं
- एकीकृत स्पाइरुलिना उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयाँ
- रेशम उत्पादन प्रसंस्करण इकाई
- शहद प्रसंस्करण
- पौध संगरोध इकाइयाँ
- कस्टम हायरिंग सेंटर (न्यूनतम 4)
- संपीड़ित बायोगैस संयंत्र

Machine Translated by Google

केवल समूहों के लिए

केवल एफपीओ, पीएसीएस, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समितियां, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी संघ, एफपीओ महासंघ, एसएचजी महासंघ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां आदि के लिए क्योंकि वे सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के रूप में योग्य हैं। a. हाइड्रोपोनिक खेती - हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की बागवानी और हाइड्रो कल्चर का एक उपसमूह है जिसमें जलीय विलायक में खनिज पोषक घोल का उपयोग करके मिट्टी के बिना पौधे उगाना शामिल है।

ख. मशरूम की खेती - मशरूम स्पॉन, खाद तैयार करना, मल्च का स्पॉनिंग, केसिंग, मशरूम उत्पादन, कटाई और आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचा ग. वर्टिकल खेती - यह खड़ी परतों में फसल उगाने की प्रथा है। इसमें अक्सर नियंत्रित-पर्यावरण कृषि शामिल होती है, जिसका उद्देश्य पौधों की वृद्धि को अनुकूलित

करना और मिट्टी रहित खेती तकनीकें शामिल होती हैं।

d. एरोपोनिक खेती- यह हवा या धुंध के वातावरण में पौधे उगाने की प्रक्रिया है
मिट्टी या समग्र माध्यम के उपयोग के बिना।

पॉली हाउस/ग्रीनहाउस - यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें विशेष पॉलीथीन शीट को आवरण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके तहत फसलों को आंशिक या पूर्ण रूप से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में उगाया जा सकता है।

एफ। रसद सुविधाएं (गैर-रेफ्रिजरेटेड/इंसुलेटेड वाहनों सहित)

जी. ट्रैक्टर

Machine Translated by Google

फसलवार पात्र कटाई उपरांत प्रबंधन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्रम. नहीं।	फसलें	पात्र पीएचएम& प्राथमिकप्रसंस्करण गतिविधियाँ	इसके अंतर्गत पात्र नहीं एआईएफ
1	अनाज & बाजरा (गेहूं, धान, ज्वार, जौ, मक्का जई, आदि)	• सफाई • डी-स्टोनिंग • छंटाई और ग्रेडिंग • हलिंग • पिसाई (आटा, मैदा, सूजी, दलिया) • पाउंडिंग • पीसना • तड़का लगाना • हल्का उबालना • भिगोना • सुखाना • छानना • विकिरण • भंडारण (गोदाम, साइलो)	• किण्वन • बेकिंग • पफिंग • परत उखड़ना • तलना • एक्सट्रूज़न • सम्मिश्रण • भूनना • चावल का सुदृढ़ीकरण • ब्रेड, बिस्कुट, पास्ता, स्नैक फूड आदि।

Machine Translated by Google

फसलवार पात्र कटाई उपरांत प्रबंधन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्रम सं.	फसलें	पात्र PHM और प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ • धुलाई, सफाई	एआईएफ के अंतर्गत पात्र नहीं
2	फल और सब्जियाँ	• सुखाना • . छंटाई ग्रेडिंग • ठंडा करना • वैक्सिंग . कंडीशनिंग • कोल्ड स्टोरेज, पकने का कक्ष • पैकेजिंग, रीफर वैन, आदि। • फ्रीजिंग (आईक्यूएफ और ब्लास्ट) • प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए ब्लांचिंग	• निर्जलीकरण • संकेन्द्रित उत्पाद • कैनिंग • रस निष्कर्षण • बंध्यीकरण • जैम और जेली, • पिक्स • सॉस
3	तिलहन एवं तेल ताड़	• सफाई • डी-स्टोनिंग • भूसी उतारने वाली मशीनें (डी-कोर्टिकेटिंग मशीनें) • फटकना • तेल निष्कर्षण (घानी, हाइड्रोलिक प्रेस आदि) • तेल बीज केक	• शोधन

ARREDS

Machine Translated by Google

फसलवार पात्र कटाई उपरांत प्रबंधन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्रम. नहीं।	फसलें	पात्र पीएचएम& प्राथमिकप्रसंस्करण गतिविधियाँ	इसके अंतर्गत पात्र नहीं एआईएफ
4	दालें	• सफाई • पत्थर हटाना • सुखाना • छंटाई और ग्रेडिंग • भूसी निकालना • विभाजन • छिलका हटाना • मिलिंग • विकिरण	• डिब्बाबंदी • बेसन • पापड़ • दाल आधारित खाद्य पदार्थ • फूला हुआ चना
5	कपास	• सफाई • सुखाना • ओटाई • दबाना और बेलिंग • लिंटरिंग • कपास के बीज का तेल • बीज केक	• फाइबर फिनिशिंग • फाइबर स्कोअरिंग • बुनाई

ARREDS

Machine Translated by Google

फसलवार पात्र कटाई उपरांत प्रबंधन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्रम. नहीं।	फसलें	पात्र पीएचएम& प्राथमिकप्रसंस्करण गतिविधियाँ	इसके अंतर्गत पात्र नहीं एआईएफ
6	गन्ना	• गन्ना उतारना • सफाई • बेंत तोड़ना • गन्ना पिसाई • तनाव • बाष्पित्र • सेंट्रीफ्यूजेशन • भंडारण टंकियां • ड्रायर • गुड़	• कागज बनाना &बोर्ड के साथ खोई, • किण्वन, • अल्कोहलिक आसवन
7	मसाले लाल मिर्च, जीरा, लौंग, धनिया, दालचीनी, लहसुन, अदरक, हल्दी, मेथी, इलायची आदि।	• सफाई • सुखाना • छंटाई • उबालना • पॉलिशिंग • पीसना • पैकेजिंग • भंडारण • विकिरण	• भुने हुए उत्पाद, • चिपकाएँ

ARREDS

Machine Translated by Google

फसलवार पात्र कटाई उपरांत प्रबंधन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्रम. नहीं।	फसलें	पात्र पीएचएम& प्राथमिकप्रसंस्करण गतिविधियाँ	इसके अंतर्गत पात्र नहीं एआईएफ
8	नारियल	• भूसी निकालना, छिलका हटाना • काटना, सुखाना (कोपरा) • पीसना, • नारियल पानी का निष्कर्षण • नारियल का दूध निकालना • सेंट्रीफ्यूजेशन • गर्म प्रसंस्करण • वर्जिन नारियल का तेल • पैकेजिंग	• क्रीम, मक्खन
9	चाय और कॉफी	• सफाई और धुलाई • चेरी को सुखाना • मुरझाना, लुढ़कना • किण्वन, • सुखाना, शॉर्टिंग • छिलका निकालना, गूदा निकालना • ऑक्सीकरण • पैकेजिंग	• चॉकलेट बनाना

Machine Translated by Google

फसलवार पात्र कटाई उपरांत प्रबंधन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्रम. नहीं।	फसलें	पात्र पीएचएम& प्राथमिकप्रसंस्करण गतिविधियाँ	इसके अंतर्गत पात्र नहीं एआईएफ
10 जूट		• काट रहा है • रेटिंग • स्ट्रिपिंग • धुलाई • सुखाना • बेलिंग • पैकिंग • भंडारण	जूट का कपड़ा बनाना, बैग, बोरियां
11 नट्स	कश्यु बादाम अखरोट पिस्ता आदि.	सफाई बॉयलर में स्ट्रीमिंग शैल काटना छीलना पैकेजिंग पृथक्करण हलिंग सुखाने संवहन बेल्ट ग्रेडिंग सुखाने ग्रेडिंग बमबारी पैकेजिंग धुलाई भंडारण पैकेजिंग	• काजू का रस • भुने हुए उत्पाद • नट स्प्रेड • बादाम का दूध • पाउडर • स्प्रेड्स • भूनना

Machine Translated by Google

फसलवार पात्र कटाई उपरांत प्रबंधन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्रम. नहीं।	फसलें	पात्र पीएचएम& प्राथमिकप्रसंस्करण गतिविधियाँ	इसके अंतर्गत पात्र नहीं एआईएफ
12	रबर	• चबाना • मिश्रण • आकार देना • इलाज • विकिरण	• द्वितीयक रबर टायर, गद्दे, बोतलें, जूते आदि जैसे उत्पाद।
13	हर्बल, औषधीय और सुगंधित फसलें दारुहल्दी, मुलेठी, बेल, इसबगोल, गुग्गल, खेरथ, आंवला, चंदन, सनाय, बैबेरंग, ब्राह्मी, नीलगिरी, जटामांसी आदि।	• सफाई • छंटाई • सुखाना • मिलिंग • तेल का निष्कर्षण • पैकेजिंग • भंडारण	• सिरप • गोलियाँ • मलाई • तलना

ARREDS

Machine Translated by Google

फसलवार पात्र कटाई उपरांत प्रबंधन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्रम. नहीं।	फसलें	पात्र पीएचएम& प्राथमिकप्रसंस्करण गतिविधियाँ	इसके अंतर्गत पात्र नहीं एआईएफ
14	तम्बाकू	• सफाई • ग्रेडिंग • छंटाई • इलाज • सुखाना • भंडारण	• च्यू बनाना, सिगार, डिप्स आदि.
15	बांस	• सुखाना • काट रहा है • स्ट्रिपिंग • शीट का निर्माण • बांस की लकड़ी का कोयला • पाउडर • दाने • बांस उपचार संयंत्र • बांस डिपो और गोदाम	• बना हुआ खाना अचार, करी आदि जैसे उत्पाद • फाइबर, फर्नीचर, अगरबत्ती आदि उत्पाद।

ARREDS

Machine Translated by Google

फसलवार पात्र कटाई उपरांत प्रबंधन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

क्रम. नहीं।	फसलें	पात्र पीएचएम& प्राथमिकप्रसंस्करण गतिविधियाँ	इसके अंतर्गत पात्र नहीं एआईएफ
16	चारा फसलें (बरसीम, चारा ज्वार, आदि)	• काट रहा है • मिश्रण • पीसना	• पेलेटिंग
17	कंद फसलें (शकरकंद, कसावा आदि)	• छीलना और धोना • झंझरी • किण्वन • सुखाना • छानना • मिलिंग • भंडारण	• मादक उत्पाद • स्टार्च
18	सुपारी	• सफाई • भूसी उतारना • छीलना • विभाजन • उबालना • सुखाना • पैकेजिंग	• हार्डबोर्ड, इंसुलेशन वूल, कुशन, कागज, पेपर बोर्ड आदि तैयार करना।

ARREDS

Machine Translated by Google

सुविधा,

ऋण की मात्रा ,

अंतर

सावधि ऋण

कोई न्यूनतम या अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित नहीं है

2 करोड़ रुपये तक की ब्याज सहायता और ऋण गारंटी उपलब्ध

ब्याज अनुदान राशि और ऋण गारंटी सहायता पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली-पीएफएमएस; लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय) भारत सरकार के माध्यम से बैंकों को जारी की जाएगी।

अंतर:

ऋण सीमा 2 करोड़ रुपये तक: परियोजना लागत का न्यूनतम 10%।

2 करोड़ रुपये की ऋण सीमा से ऊपर: परियोजना लागत का 25%।

पूंजीगत सब्सिडी के मामलों में, यदि पात्र हो, तो ऐसी राशि
प्रमोटर का योगदान माना जाएगा।

ARREDS

Machine Translated by Google

एआईएफ आवेदनों की प्रक्रिया प्रवाह

एआईएफ पोर्टल: agriinfra.dac.gov.in

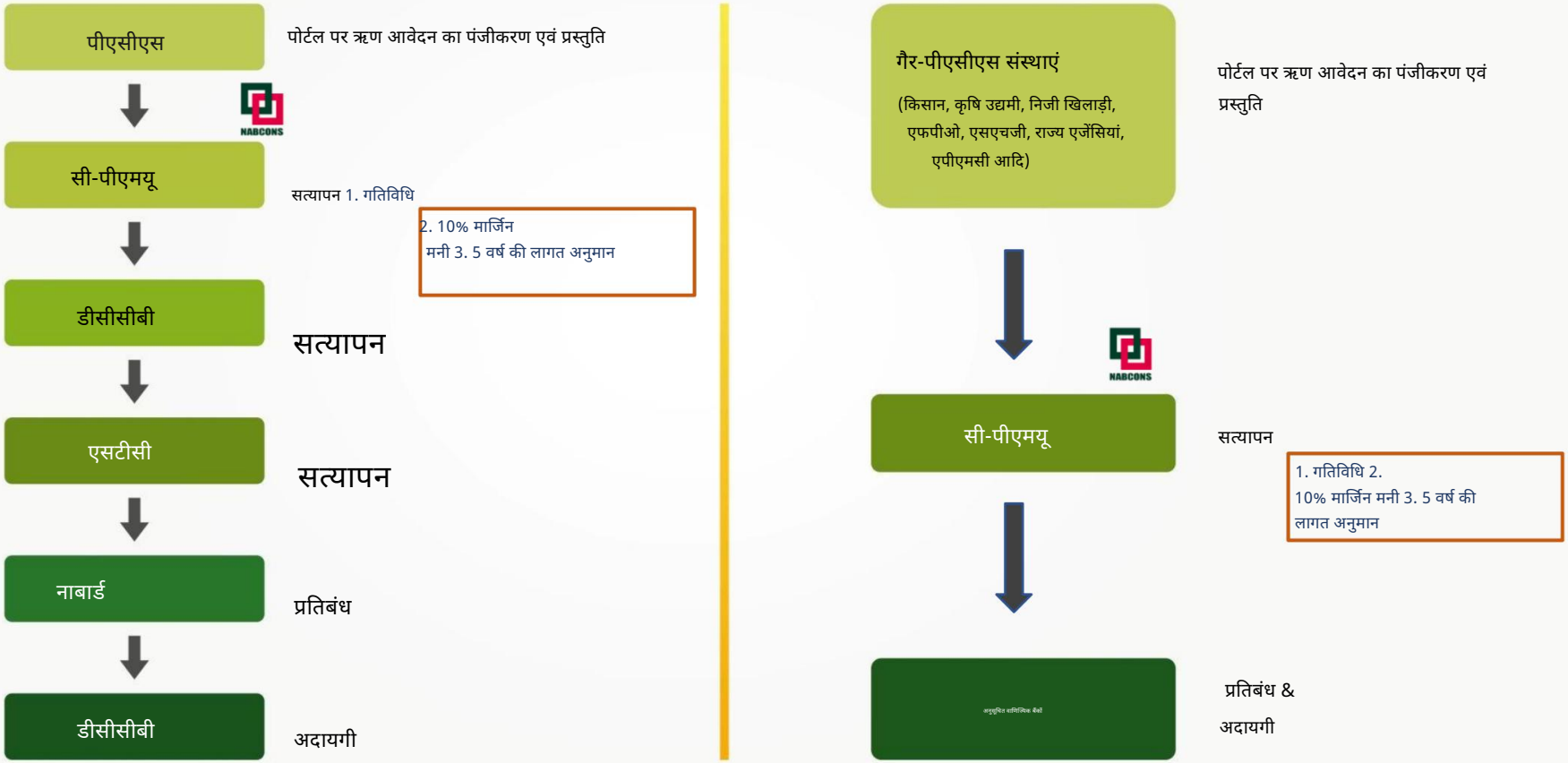

ARREDS

Machine Translated by Google

प्रमुख योजनाएँ:
एआईएफ के साथ कन्वर्जेंस सहायता उपलब्ध है

बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के अंतर्गत उप-योजनाएँ
शीतलन इकाइयों, पैक हाउस, पकाने वाले कक्षों, रीफर वैन आदि सहित बुनियादी ढांचे के लिए 35% - 50% पूंजी सब्सिडी।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई)
कार्यशील पूंजी, प्रशिक्षण, डीपीआर तैयार करने के लिए एफपीओ, एसएचजी और सहकारी समितियों के लिए अतिरिक्त सहायता के साथ 35% पूंजी सब्सिडी

कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एसएमएएम)
कस्टम हायरिंग सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए 40% तक सब्सिडी

गोबर-धन- जल शक्ति मंत्रालय
बायो गैस संयंत्रों के लिए 1.0 करोड़ रुपये प्रति 12000 घनमीटर/दिन तथा बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए 4.0 करोड़ रुपये प्रति 4800 किलोग्राम/दिन की वित्तीय सहायता

पीएम किसान सम्पदा (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उप-योजनाएं
सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, सुखाने, आईक्यूएफ आदि जैसे बुनियादी ढांचे के लिए 35% पूंजी सब्सिडी।

कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई)
वेयरहाउस और प्राथमिक प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए 33.33% तक सब्सिडी

Machine Translated by Google

प्रमुख योजनाएँ:
एआईएफ के साथ कन्वर्जेंस सहायता उपलब्ध है

एनसीडीसी द्वारा कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (आईएसएसी) कृषि प्रसंस्करण, बागवानी प्रसंस्करण, भंडारण आदि के लिए पैक्स को वित्तीय सहायता।

PACS को MSC (बहु सेवा केंद्र) योजना के रूप में PACS के लिए कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए 4% ब्याज दर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

विभिन्न उत्पादन और पीएचएम गतिविधियों के लिए आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए धन के लिए राज्य योजना के साथ अभिसरण

ऑपरेशन ग्रीन्स: शीर्ष से लेकर कुल तक शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि वस्तुओं के लिए संग्रहण केन्द्रों, परिवहन, भंडारण, ई-मार्केटिंग सुविधाओं आदि के लिए 50% पूंजी सब्सिडी

पीएम-कुसुम- घटक बी और सी स्टैंड-अलोन सौर पंपिंग प्रणाली की स्थापना और ग्रिड से जुड़े कृषि पंप के सौरीकरण के लिए 50% सब्सिडी

पीएम - कर्मचारी सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

सूक्ष्म उद्यम के लिए 35% तक पूंजी सब्सिडी

ARREDS

Machine Translated by Google

सुरक्षा

प्राथमिक :

मशीनरी, उपकरणों का दृष्टिबंधक, भूमि का बंधक (केवल भूमि पर निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्राथमिक सुरक्षा के रूप में भूमि प्राप्त करना।)

इसलिए यदि ऋण भूमि और भवन के लिए नहीं है, तो रसद सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए प्राथमिक सुरक्षा के रूप में भूमि प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

संपार्श्विक :

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किए गए ऋणों के लिए, 5 करोड़ रुपये की ऋण सीमा तक: शून्य

गारंटी योजना के अंतर्गत कवर किए गए ऋणों (एफपीओ) के लिए: शून्य

संपार्श्विक SARFAESI अनुरूप संपत्ति होनी चाहिए (शाखा से 25 किमी की परिधि के भीतर)

ARREDS

Machine Translated by Google

लीड जनरेशन और ग्राहक संपर्क

ऑनलाइन एमआईएस प्लेटफॉर्म (www.agriinfra.dac.gov.in) के माध्यम से प्रबंधित और निगरानी की जाती है।

आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें।

आवेदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी

(डीपीआर) और संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे

इसके बाद यह आवेदन डीपीआर के साथ ऋण देने वाली संस्था को भेज दिया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदनों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उन्हें एमआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजा जाएगा।

ऋण देने वाली संस्थाएं परियोजना का मूल्यांकन करेंगी और निर्णय लेंगी

एक बार ऋण स्वीकृत हो जाए और चरणों में वितरण हो जाए।

संवितरण के बाद भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी शुल्क जारी किया जाएगा

प्रथम दृष्टया पात्र होने पर चेक-लिस्ट सौंपें।

ARREDS

Machine Translated by Google

लीड जनरेशन और ग्राहक संपर्क

https://www.agriinfra.dac.gov.in

Main Features

- Convergence with all schemes of central or state government.
- Online single window facility in collaboration with participating lending institutions.
- Project Management Unit to provide handholding support for projects including project preparation
- Size of the financing facility – Rs. 1 lakh Cr.
- Credit Guarantee for a loan up to INR 2 crore.
- Interest subvention of 3% p.a., limited to INR 2 crore, though loan amount canbe higher.
- Cap on lending rate, so that benefit of interest subsidy reaches the beneficiary and services to farmers remain affordable.
- Multiple lending institutions including Commercial Banks, Cooperative Banks,NCDC, NBFCs etc.
- Disbursement in four years starting with sanction of Rs.10,000 crore in the first year and Rs 30,000 crore each in next three financial years.
- Moratorium for repayment under this financing facility may vary subject to minimum of 6 months and maximum of 2 years.
- Need based refinance support will be made available by NABARD to all eligible lending entities including cooperative banks and RRBs as per its policy.

National Agriculture Infra Financing Facility

The role of infrastructure is crucial for agriculture development and for taking the production dynamics to the next level. It is only through the development of infrastructure, especially at the post harvest stage that the produce can be optimally utilized with opportunity for value addition and fair deal for the farmers. Development of such infrastructure shall also address the vagaries of nature, the regional disparities, development of human resource and realization of full potential of our limited land resource.

In view of above, the Hon'ble Finance Minister announced on 15.05.2020 Rs 1 lakh croreAgri Infrastructure Fund for farm-gate infrastructure for farmers. Financing facility of Rs. 1,00,000 crore will be provided for funding Agriculture Infrastructure Projects at farm-gate & aggregation points (Primary Agricultural Cooperative Societies, Farmers Producer Organizations, Agriculture entrepreneurs, Start-ups, etc.). Impetus for development of farmgate& aggregation point, affordable and financially viable Post Harvest Management infrastructure.

Accordingly, DAC&FW has formulated the Central Sector Scheme to mobilize a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects relating to postharvest management Infrastructure and community farming assets through incentives and financial support.

Credit guarantee coverage will be available for eligible borrowers from this financing facility under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme for a loan up to Rs. 2 crore. The fee for this coverage will be paid by the Government. In case of FPOs the credit guarantee may be availed from the facility created under FPO promotion scheme of DACFW.

All loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of Rs. 2 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. In case of loans beyond Rs.2 crore, then interest subvention will be limited up to 2 crore. The extent and percentage of funding to private entrepreneurs out of the total financing facility may be fixed by the National Monitoring Committee.

- Loan Application Process (English)
- Loan Application Process (Hindi)

Beneficiary Corner

Beneficiary Registration

Scheme Guidelines

DCCBs

MoU with Banks

Circulars

Login

Interest Rates

ARREDS

Ver 4.9.0

Website Content Managed by Department of Agriculture & Farmers Welfare

Machine Translated by Google

सभी हितधारकों के लिए जीत वाली स्थिति

किसान:

- विपणन अवसंरचना
- मूल्य प्राप्ति में वृद्धि
- कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी
- कम बिचौलिये
- आधुनिक पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच
- बेहतर उत्पादकता और इनपुट के अनुकूलन के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति

सरकार:

- ब्याज अनुदान
- क्रेडिट गारंटी
- बर्बादी कम करें
- प्रतिस्पर्धी बाजार
- निवेश आकर्षित करें

स्टार्टअप:

नवाचार

खिलाड़ियों को जोड़ना

बैंक: कम जोखिम,

विविधीकरण

पोर्टफोलियो

उपभोक्ता: बेहतर गुणवत्ता, कीमतें

ARREDS

Machine Translated by Google

धन्यवाद